

09.10.2023 को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित इकाई अनुमोदन समिति कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बैठक का विवरण

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 09.10.2023 को रात 10:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इकाई अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा।
2. श्री उत्पल आचार्य, आईटीएस, संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय, लुधियाना
3. श्री सत्यपाल, सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), लुधियाना

इसके अलावा बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे।

- i. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- ii. श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त
- iii. श्री संदीप कुमार, विशिष्ट अधिकारी
- iv. श्री मनीष भटनागर, प्राधिकृत अधिकारी
- v. श्री दीपक बजाज, प्राधिकृत अधिकारी

चूंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, इसलिए बैठक कार्यसूची के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

कार्यसूची मद संख्या 1:-

विषय: 31.07.2023 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 31.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, 31.07.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 2:-

2.1 विषय: इकाई के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव- स्वीकृति पत्र संख्या क्यूएसईजेड/इकाई/04/01/2020/775 दिनांक 05.02.2020 - मेसर्स मार्सिन प्राइवेट लिमिटेड: -

2.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि **मेसर्स मार्सिन प्राइवेट लिमिटेड** आईटी/आईटीईएस संचालन के लिए मेसर्स कार्कसिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (मोहाली) में एक अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई है। इकाई को स्वीकृति पत्र नंबर-क्यूएसईजेड/इकाई/04/01/2020/775 दिनांक 05.02.2020 प्रदान किया गया था।

सुरेंद्र मलिक

2.1.2 16 जनवरी, 2020 को निगमित मामलों के मंत्रालय के कंपनियों का पंजीकरण द्वारा कंपनी का नाम मौजूदा **मेसर्स मार्सियन प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर सेफियन प्राइवेट लिमिटेड** कर दिया गया।

2.1.3 इकाई मेसर्स मार्सियन प्राइवेट लिमिटेड ने एमसीए द्वारा जारी आईएनसी-24 (कंपनी के नाम के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र), संगठन के परिवर्तित अनुच्छेद और संगठन के परिवर्तित ज्ञापन की प्रतियां जमा की थीं।

2.1.4 इकाई का नाम मौजूदा **मेसर्स मार्सियन प्राइवेट लिमिटेड से सेफियॉन प्राइवेट लिमिटेड** में बदलने के कारण शेरधारिता स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2.1.5 वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 में कहा गया है, "नाम में बदलाव, शेरधारिता स्वरूप में बदलाव, व्यापार हस्तांतरण व्यवस्था, अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और विलयन, संविधान में बदलाव, निदेशकों में बदलाव आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति, इस शर्त के अधीन है, कि विकासक/सह-विकासक/ इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेगा या बाहर नहीं जाएगा और एक चालू संस्था के रूप में काम करना जारी रखेगा।

2.1.6 इकाई के निदेशक श्री गुरविंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.7 विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 के अनुसार मौजूदा **मेसर्स मार्सियन प्राइवेट लिमिटेड से सेफियन प्राइवेट लिमिटेड** में इकाई का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

कार्यसूची मद संख्या 3:- निर्णय का अनुसमर्थन

3.1 परिचालन क्षेत्र में कमी/हटाने का प्रस्ताव- मेसर्स बीसोल्वर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड:-

3.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स बीसोल्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई है जिसका स्वीकृति पत्र नंबर क्यूएसईजेड/इकाई/04/07/2017/620 दिनांक 31/10/2017 है। इस स्वीकृति पत्र के तहत अधिकृत संचालन "आईटी/आईटीईएस" सेवा गतिविधियां थीं। इकाई का स्वीकृति पत्र पत्र संख्या क्यूएसईजेड/इकाई/04/07/2017/20 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से नवीनीकृत किया गया और 4 दिसंबर, 2027 तक वैध है।

3.1.2 मेसर्स बीसोल्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से चौथी मंजिल के कुल 15415 वर्ग फुट क्षेत्र में से 4500 वर्ग फुट को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्तावित विलोपन के लिए विकासक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है। इकाई के प्रक्षेपण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3.1.3 इकाई ने निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति जमा कर दी है। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई मेसर्स बीसोल्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली, पंजाब में चौथी मंजिल पर 15415 वर्ग फुट के मौजूदा क्षेत्र से अपने 4500 वर्ग फुट क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का अनुरोध किया है, जो कि अनुमोदन समिति के अनुसमर्थन के अधीन फाइल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।


3.1.4 इकाई के निदेशक श्री सुमित सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.5 विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र) में चौथी मंजिल पर 15415 वर्ग फुट के मौजूदा क्षेत्र से इसके 4500 वर्ग


सुरेंद्र मलिक

फुट क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी दे दी और फ़ाइल पर लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।


(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त